सशोधित स्मृति पत्र

1– संस्था का नाम श्री रघुराज सिंह मेमोरियल शिक्षण संस्थान

2– सस्था का पता मुकाम पोस्ट सरायअकिल , चायल जिला कौशाम्बी

3– सस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष

4– संस्था का उददेश्य

क– ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनपयोगी विभिन्न प्रकार की साहित्यक ,वैज्ञानिक ,शैक्षिक औद्योगिक एवं व्यवसायिक शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा तदविषयक विभिन्न विधि संस्थानों का प्रवर्तन एवं व्यवस्थापना करना ।

ख–जन सामान्य के शारीरिक ,मानसिक, साहित्यक एवं सांस्कृतिक विकास के हेतु विद्यालय व्यायामशाला खेलकूद तथा विभिन्न साहित्यक एवं सांस्कृतिक कार्यकमों का आयोजन करना ।

ग–उक्त कार्यकमों की पूर्ति हेतु :–

अ– इस समय कम से कम एक विद्यालय की स्थापना एवं संचालन किया जायेगा जिसका नाम श्री रुघराज सिंह माध्यमिक विद्यालय होगा यह मुकाम पोस्ट सराय अकिल तहसील चायल जिला कौशाम्बी में स्थापित होगा ।

ब–विद्यालय के साथ –साथ संग्राहलय पुस्तकालय एवं वाचनालय तथा छात्रावास का निर्माण एवं परिचालन किया जायेगा ।

1– संस्था द्वारा प्राइमरी जुनियर हाई स्कूल इन्टर मीडियट तथा स्नातक तक की शिक्षा हेतु विघालय, महाविधालय की स्थापना करना उनका संचालन करना ।

2–संस्था द्वारा नि:शुल्क चिकित्सालय की स्थापना करना उसका संचालन करना लोगों को नि: शुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु हर सम्भव प्रयास करना

3–संस्था शिशुओं के नैतिक एवं बौद्दिक विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में बालबाड़ी एवं शिशु पालन गृहो की स्थापना करना ।

4–विज्ञान कला एवं साहित्य केप्रशिक्षण के लिए विद्यालयों पुस्तकालय तथा संग्राहलयों की स्थपना संचालन करना और उनका संचालन करना ।

Shri Krishna Singh
Lal Bahadur Singh
Brij Lal Singh
Ajit Vikram Singh
सुनीता सिंह

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स,
Ashok

5– संस्था महिला कल्याण हेतु प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि का संचालन कर उन्हे समाज में जीवन निर्वाह हेतु साधन उपलब्ध कराने में सहयोग देना ।

6– अवकाश शिविरों एवं जागरूकता शिविरों की व्यवस्था कर ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों में सामुदायिक भावना की ओर जागृत करना

7–आवश्यकतानुसार संस्था समय समय पर भारतीय विज्ञान एवं प्रदर्शनी का आयोजन करना ।

8– संस्था विकास के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीयसरकार व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं एवं विदेशी प्रतिष्ठानों से आर्थिक सहायता प्राप्त करके सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम सम्पादित करेगी ।

9– संस्था समाज उत्थान एवं बाल महिला कल्याण के अन्य कार्यक्रम की सम्पादित करेगी

10– संस्था वे सभी कार्य करेगी जो समाज के लिए लाभप्रद हो ।

11– संस्था द्वारा महिला कल्याण तथा बाल विवाह तथा महिलाओं एव पुरूषों में होने वाले कैसर से बचने के उपाय तथा उनका निः शुल्क चिकित्सा , टीकाकरण मुफ्त दवायें उपलब्ध कराना ।

12– एडस जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों को जानकारी देना एवं सरकारी संस्थाओं के सहयोग से इसके निवारण तथा इलाज की व्यवस्था करना।

13– भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम जैसे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बोर्ड के अन्तर्गत इकाईयों जैसें अचार मुरब्बा नमकीन लौह कला आदि को स्थापित एवं संचालन करना ग्रामीण उत्थान के लिए गो पालन कुर्षि उन्नति एवं ओद्योगिक विकास तथा शैक्षिक प्रवृत्तियों के कार्य |का गठन प्रचार एवं संचालन की व्यवस्था करना ।

14– ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ पेयजल की जानकारी उपलब्ध करना तथा उसके लिए लोगों को जागरूक कर हैण्डपम्पों एवं जल संचय के कार्यक्रम चलाना ।

15–झुग्गी झोपडी में रहने वाले गरीब असहाय पुरूषों महिलाओं वच्चों की शिक्षा निःशुल्क स्वास्थ्य भेजन रोजगार आदि पर कार्यक्रम चालाना

16– भूमि जल जल के अत्यधिक दोहन के रोकने के उपाय एवं आवश्यक जल संरक्षण एव भूमि सरंक्षण कार्यकमों का संचालन करना ।

Shri Krishna Singh
Lal Bahadur Singh
Brij Lal Singh
Ajit Vikram Singh
सुनीता देवी

सत्य प्रतिलिपि
Ashok

17– प्राकृतिक संसाधनों जैविक सम्पदा तथा पर्यावरण की सुरक्षा एवं विकास के साथ साथ वैकल्पिक उर्जा के श्रोतो को विकसित करना तथा ग्रामीण में पेय जल सफाई एवं शौचालय आदि की व्यवस्था करना ।

18– ग्रामीण युवाओं महिलाओं कृषकों को स्वयम सहायता संगठन तैयार कर कार्यकमों का संचालन करना ग्रामीण रोजगार सृजन करना ।

19– ग्रामीण अंचलों में उसर भूमि सुधार हेतु प्रशिक्षण बीज उत्पादन कर कृषि सम्बन्धी कार्यकमों का निर्माण एवं जागरूकता लाने हेतु सेमिनारो का आयोजनकरना व जागरूकता लाने का प्रयास करना

20– महिला उत्पीडन दहेज प्रथा लिगं भेद बाल विवाह तथा बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना तथा नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करना ।

21– बृद्धा आश्रम अनाथ आश्रम एवंमानव सेवाश्रम आदि की व्यवस्था करना विकलागों को स्वालम्बी बनाने हेतु उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना ।

Shri Krishna Singh
Lal Bahadur Singh
Brij Lal Singh
Ajit Vikram Singh
सुनीता सिंह

सत्य प्रतिलिपि
2/12/013
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
Ashok
2/12/13

5– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम पता पद व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृतिपत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौपा गया है

क्र0	नाम पिता/ पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	श्री श्रीकृष्ण सिहं	ग्राम म्योहार पोस्ट कौशाम्बी	अध्यक्ष	एडवोंकेट
2–	श्री लाल बहादुर सिंह	सरायअकिल कौशाम्बी	उपाध्यक्ष	कृषि
3–	श्री बृज लाल सिहं	सरायअकिल कौशाम्बी	प्रबन्धक	"
4–	श्री अजीत विकम सिह	ग्राम ब्रजरानी तह0 कुण्डम जबलपुर म0प्र0	उपप्रबन्धक	वकालत
5–	श्रीमती सुनीता सिंह	सरायअकिल कौशाम्बी	कोषाध्यक्ष	कृषि
6–	श्री भरत सिंगरौल	20ए कटघर रोड इलाहाबाद	सदस्य	वकालत
7–	श्री भगवत सिंह	ग्राम पोस्ट सरायअकिल कौशाम्बी	सदस्य	कृषि
8–	श्री नवीन कुमार सिंगरौल	ग्राम पोस्ट दुर्ग छत्तीसगढ़	सदस्य	वकालत
9–	श्री आशीष पाण्डेय	दिलाराम देहरादून उत्तराखण्ड	सदस्य	कृषि
10–	विनय कुमार सिंह	ग्राम अरथरा पोस्ट बबेरू जिला बादां उ0 प्र0	सदस्य	कृषि
11–	श्री नरेन्द्र	ग्राम गंगोली तहसील सैफीदन हरिणाणा	सदस्य	कृषि

6– हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घेाषित करते है कि हमने इस स्मृति पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है

क्र0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1–	श्री श्रीकृष्ण सिहं	ग्राम म्योहार पोस्ट कौशाम्बी	Shri Krishna Singh
2–	श्री लाल बहादुर सिंह	सरायअकिल कौशाम्बी	Lal Bahadur Singh
3–	श्री बृज लाल सिहं	सरायअकिल कौशाम्बी	Brij Lal Singh
4–	श्री अजीत विकम सिंह	ग्राम ब्रजरानी तह0 कुण्डम जबलपुर म0प्र0	Ajit VikramSingh
5–	श्रीमती सुनीता सिंह	सरायअकिल कौशाम्बी	सुनीता सिंह
6–	श्री भरत सिंगरौल	20ए कटघर रोड इलाहाबाद	भरत
7–	श्री भगवत सिंह	ग्राम पोस्ट सरायअकिल कौशाम्बी	भगवत सिंह
8–	श्री नवीन कुमार सिंगरौल	ग्राम पोस्ट दुर्ग छत्तीसगढ़	Navin Kumar
9–	श्री आशीष पाण्डेय	दिलाराम देहरादून उत्तराखण्ड	Ashish Pandey
10–	विनय कुमार सिंह	ग्राम अरथरा पोस्ट बबेरू जिला बादां उ0 प्र0	विनय कुमार सिंह
11–	श्री नरेन्द्र	ग्राम गंगोली तहसील सैफीदन हरिणाणा	Narend

Shri Krishna Singh
Lal Bahadur Singh
Brij Lal Singh
सुनीता सिंह
Ajit VikramSingh

दिनांक 14-6-2007

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

अ– बैठके:

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है ।

स– सूचना अवधि :–

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व आवश्यक बैठक कभी भी बुलाईजा सकती है

द– गणपूर्ति :–

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की उपस्थिति का कोरम 2/3 होगा स्थगित बैठक में कोरम का प्रतिबन्ध न होगा लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्ववत होगें ।

य– रिक्त स्थानों की पूर्ति:–

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि किसी भी प्रकार का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा शेष कार्यकाल के लिए कर ली जायेगी ।

र– प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :–

1– संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना ।
2– संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।
3–संस्था के उददेश्यों की पूर्ति करना व विकास कार्य करना ।

ल– कार्यकाल:–

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा ।

10– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कतर्व्य:–

अ–अध्यक्ष:–

1– सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना ।
2– संस्था के विकास के लिए कार्य करना ।
3– त्यागपत्र स्वीकार करना ।
4– समान मत होने पर निर्णायक मत देना ।
5– बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना ।
6– संस्था के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को दिशा निर्देश देना ।
7– बैठक की तिथियों का अनुमोदन करना ।
8'– बैठक स्थगित करना व पुनः आहुत करने हेतु निर्देश देना ।

Shri Krishna Singh
Lal Bahadur Singh
Brij Lal Singh
Ajit Vikram Singh
सुनीता सिंह

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स
Ashok

ब:– उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करेगा

स:–प्रबन्धक

1–संस्था के मुख्यकार्यपालक के रूप में कार्य करना ।

2– संभी प्रकार की बैठकों की सूचना देना ।

3– बैठकों की तिथियों का अनुमोदन कराना ।

4– संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था करना ।

5– संस्था की कार्यवाहियों का संचालन करना ।

6– संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति वेतनबृद्धि प्रोन्नति निष्काषन पदोन्नति करना ।

7– सभी प्रकार के विल व बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।

8– संस्था के उददेश्यों की पूर्ति करना ।

9– संस्थान से सम्बन्धित समस्त अनुबन्धों अभिलेखों को प्रमाणित करना

10– संस्था की सभी प्रकार की कार्यवाही का संचालन करना बैठक में कार्यवाही को पढकर सुनाना आदि

11– संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना ।

12– संस्था एवं सस्था द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं की देखरेख करना व उनका संचालन करना रखरखाव व देखरेख करना ।

Shri Krishna Singh
Lal Bahadur Singh
Brij Lal Singh
Ajit Vikram Singh

य– उपप्रबन्धक :–

प्रबन्धक की अनुपस्थित में कार्य करना तथा संस्था के विकास के लिए कार्य करना ।

य– कोषाध्यक्ष:–

1– हस्ताक्षरित विलों का भुगतान करना ।

2– कोष सम्बन्धी समस्त कार्य करना ।

3– सभी प्रकार के कोष को कैशबुक में इन्द्राज करना ।

र–आय व्यय निरीक्षक:–

संस्था का कम से कम वर्ष मेंएक बार आडिट करना तथा अडिट रिपोट प्रति वर्ष बैठक: / वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत करना ।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स
Ashok
2/12/13

11– संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रकियाः–

साधारण सभा के 2/3 बहुमत से संशोधन परिवर्तन परिवर्धन करना ।

12– संस्था का कोषः–

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैक में या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम खाता खोलकर संस्था के प्रबन्धक या कोषाध्यक्ष के सयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किया जायेगा ।

13– संस्था का आडिटः–

संस्था का आडिट प्रतिवर्ष किसी सुयोग्य आडीटर द्वारा आडिट कराया जायेगा

14– अदालती कार्यवाहीः–

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध की गयी अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धक पर होगा

15' – संस्था के अभिलेखः–

1– सदस्यता रजिस्टर।
2– कार्यवाही रजिस्टर
3– एजेण्डा रजिस्टर
4– कैश बुक आदि ।

Shri Krishna Singh
Lal Bahadur Singh
Brij Lal Singh
Ajit Vikram Singh
सुनीता सिंह

16– विघटन–

संस्था का विघटन व विघटित सम्मति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

सत्यप्रतिलिपि

दिनांक 14.6-07

Shri Krishna Singh
Brij Lal Singh
सुनीता सिंह
Ajit Vikram Singh

सत्य प्रतिलिपि
2/12/13
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
Ashok
2/12/13